

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगांधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/133

दिनांक 08/01/2026

उपवानी प्रकरण - अनादीपिह बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 258/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीगांधोपुर ने जरिये पत्रांक
12/भूअ./2025 दिनांक 02/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम 0112 पटवारी हल्का 02014111414
तहसील श्रीगांधोपुर जिला सीकर के मुझे खाता संख्या 45,118,119 में खातेदार अनादीपिह
पुत्र दशरथसिंह के स्थान पर अनादीपिह पुत्र दशरथसिंह का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का 02014111414
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगांधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/134-135

दिनांक 08/01/2026

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीगांधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का 02014111414 तहसील श्रीगांधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगांधोपुर (सीकर)



प्रतिवेदन परवारी हल्का

हरदास कावास

श्रीमान जी. राजख जोग नारे के अति खास सं. 45, 118, 119
जो जमीन का नाम जगदीशसिंह पु. उमराव सिंह पु. सिंघे हैं
जबकि जमीन जो जगदीशसिंह पु. उमराव सिंह का नाम है नाम
से दस्तावेज बना रिकॉर्ड है अल्प-युक्त पंचायत रफाफकी नाम के
श्री उमराव पु. उमराव सिंघे के नाम पर है कंडा का हलकू है अल्प-
युक्त गांव के अति खास सं. 45, 118, 119 में जमीन का नाम जगदीशसिंह
पु. उमराव सिंह के नाम पर जगदीशसिंह पु. उमराव सिंह के नाम पर
अभिलेख

02.10.2025
मुलाबिक परवारी

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त:-

जांच की,

मुलाबिक रिपोर्ट परवारी एवं
संबंधित दस्तावेज शुद्धि किया जाया उचित है

21/10/25
Dev-3115/01

655 5मांस -12
2.10.25

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू-अभिलेख), श्रीमाधोपुर

मुलाबिक हल्का परवारी रिपोर्ट एवं DUR ही जांच

पश्चात शुद्धि ही अभिलेख ही जानी है।

258
10-10-25

तहसीलदार (मुलाबिक)
श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान:- , दिनांक:-)

परवारी हल्का हरदास कावास व मु. उमराव शाहली की जांच
रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिलेख रिपोर्ट के
आधार पर जांच नारे की खास सं. 45, 118, 119 में जगदीश
सिंह पु. उमराव सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह पु. उमराव सिंह
उमराव सिंह के नाम पर अल्प-युक्त पंचायत रफाफकी नाम के
दस्तावेज शुद्धि किया जाया उचित है

उपस्थित अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)